न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–136/2023

शेख मोहम्मद हारून...वादी

बनाम

अफरोज आलम एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
07.12.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 30.10.2024 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–04 शेख एजाजुल की मृत्यु दिनांक 25.09.2024 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0–04 शेख एजाजुल के विधिक वारिसानों में तीन लडका शेख मुमताज, शेख ममध्यात, शेख अनवर एवं एक लडकी नूरसबा खातुन को छोड कर स्वर्गवास हुये है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी सं0–04 शेख एजाजुल का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें, जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–04 शेख एजाजुल की मृत्यु हो गई है, जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। आवेदन के समर्थन में वादी की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया है। वादी का आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 30.10.2024 को स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–04 शेख एजाजुल का नाम कलमजद करें तथा मृतक के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तद्पश्चात वादी	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–136/2023

शेख मोहम्मद हारून..वादी

बनाम

अफरोज आलम एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **07.12.2024**	की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 09.01.2025 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	